उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर

आदेश

क्रमांक 227/गोपनीय/2022
दो–3–1/2022

जबलपुर, दिनांक 10 मार्च, 2022

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी को, उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 12 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ (5) में अंकित जिले में मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है :–

सारणी

क्र.	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के जिले का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	**श्री कौशल किशोर वर्मा,** पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, जबलपुर के पद से प्रतिनियुक्ति से वापस लौटने पर।	जबलपुर	हरदा	हरदा	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से।

टिप्पणी :–उक्त व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) (यथा संशोधित) नियम 1994 के अंतर्गत, उन्हे वरिष्ठ व्यवहार न्यायाधीश (ग्रेड–II) ए0सी0जे0एम0/सी0जे0एम0 प्रथम ए0सी0पी0 ग्रेड [Senior Civil Judge (Grade-II) ACJM/CJM I ACP Grade] वेतनमान रूपये 43690–1080–49090–1230–56470/– प्रदान नहीं किया गया है तथा दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 12 के अंतर्गत, उन्हे मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी के पद पर पदस्थ किया गया है।

क्रमांक 228/गोपनीय/2022
दो–3–1/2022

जबलपुर, दिनांक 10 मार्च, 2022

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड एवं न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी को उसी हैसियत में स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है :–

सारणी

क्र.	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के जिले का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	**श्री विनीत साकेत**	**छिन्दवाड़ा**	**हरदा**	**हरदा**	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, हरदा की हैसियत से।
2	**श्रीमती प्रियंका सुमन साकेत**	**छिन्दवाड़ा**	**हरदा**	**हरदा**	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, हरदा की हैसियत से।

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,

10.03.22

(कृष्णमूर्ति मिश्र)
रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक 229 **/गोपनीय/2022**
दो–3–1/2022

जबलपुर, दिनांक 10 **मार्च, 2022**

प्रतिलिपिः–

1. उपनियंत्रक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, अरेरा हिल्स हबीबगंज, भोपाल–6, को मध्यप्रदेश राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ अग्रेषित।
2. प्रमुख सचिव एवं विधि परामर्शी मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल–462004, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। वे कृपया **श्री कौशल किशोर वर्मा,** पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, जबलपुर, की पदस्थापना, नियमित न्यायालय में किये जाने के फलस्वरूप उनकी सेवाएं उच्च न्यायालय को सौंपे जाने संबंधी आदेश राज्य शासन से प्राप्त कर, इस रजिस्ट्री को शीघ्र प्रेषित करने का कष्ट करें।
3. महालेखाकार,(लेखा/हकदारी) प्रथम (टी0एम0 अनुभाग), कार्यालय महालेखाकार, (लेखा/हकदारी) प्रथम, मध्यप्रदेश, लेखा भवन, झांसी रोड, ग्वालियर– 474002, को सूचनार्थ अग्रेषित ।
4. महालेखाकार (2) मध्यप्रदेश, ग्वालियर, को सूचनार्थ अग्रेषित।
5.
    1. **श्री कौशल किशोर वर्मा,** पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, जबलपुर,
    2. **श्री विनीत साकेत,** प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, छिन्दवाड़ा,
    3. **श्रीमती प्रियंका सुमन साकेत,** प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, छिन्दवाड़ा के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, छिन्दवाड़ा,

को सूचनार्थ एवं अनुपालन हेतु अग्रेषित। वे कृपया वर्तमान पदस्थापना के स्थान पर इस प्रकार कार्यभार सौंपें कि वे अपनी पदस्थापना के नये स्थान पर **दिनांक 21–03–2022 तक** अवश्यमेव

कार्यभार ग्रहण कर सकें। कार्यभार सौंपने एवं ग्रहण करने संबंधी सूचना इस रजिस्ट्री को तत्काल प्रेषित करें।

6. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, **छिन्दवाड़ा** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। वे कृपया संबंधित अधिकारी को उनकी वर्तमान पदस्थापना के स्थान पर इस प्रकार कार्यभार सौंपने संबंधी निर्देश देवें जिससे कि वे अपनी पदस्थापना के नये स्थान पर **दिनांक 21–03–2022 तक** अनिवार्य रूप से कार्यभार ग्रहण कर सकें। कार्यभार सौंपने एवं ग्रहण करने संबंधी सूचना इस रजिस्ट्री को शीघ्र प्रेषित करें।

7. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश आद्यौगिक न्यायालय, 518, न्यू मोती बंगला, एम0जी0 रोड, इंदौर–452007 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। वे कृपया **श्री कौशल किशोर वर्मा,** पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, **जबलपुर** को उनकी वर्तमान पदस्थापना के स्थान पर इस प्रकार कार्यभार सौंपने संबंधी निर्देश देवें जिससे कि वे अपनी पदस्थापना के नये स्थान पर **दिनांक 21.03.2022 तक** अनिवार्य रूप से कार्यभार ग्रहण कर सकें। कार्यभार सौंपने संबंधी सूचना इस रजिस्ट्री को शीघ्र प्रेषित करें।

8. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, **हरदा** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

9. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश .... को सूचनार्थ अग्रेषित।

10. **(I)** विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (कम्प्यूटर), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, **जबलपुर, खण्डपीठ इंदौर**/इंदौर एवं **खण्डपीठ ग्वालियर**/ग्वालियर के माननीय न्यायाधिपति महोदयगणों को आदेश की प्रति ई–मेल द्वारा प्रेषित किये जाने हेतु अग्रेषित।

(II) विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (कम्प्यूटर), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को निम्न न्यायिक अधिकारियों को आदेश की प्रति ई–मेल द्वारा प्रेषित करने हेतु :–

(1) जिला जज (निरीक्षण), उच्च न्यायालय प्रांगण, **जबलपुर**/ जिला जज (निरीक्षण), जे0ई0–1, जजेस एनक्लेव, रेसीडेन्सी ऐरिया, **इन्दौर** – 452001/ जिला जज (निरीक्षण), 28/बी, रेसकोर्स रोड, मेला ग्राउण्ड के सामने, **ग्वालियर** (म0प्र0) को सूचनार्थ अग्रेषित।

(2) प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इन्दौर/इन्दौर को सूचनार्थ अग्रेषित।

(3) प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर, न्यू हाईकोर्ट बिल्डिंग, सिटी सेन्टर, ग्वालियर को सूचनार्थ अग्रेषित।

(4) सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, 574, साउथ सिविल लाईन्स, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।

(5) प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, (सतर्कता)/ (न्यायिक)/ (I.L.R. & Examination), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।

(6) रजिस्ट्रार (Exam & Labour Judiciary)/ (जिला स्थापना)/ (कार्य एवं अधोसंरचना)/ (आई0एल)/ (न्यायिक–1)/ (न्यायिक–2)/ (सतर्कता)/ सदस्य सचिव (एस.सी.एम.एस.)/ सीनियर प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट (एस0ए0)/ रजिस्ट्रार/सचिव, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति/ (प्रशासन), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।

(7) संचालक/अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।

11. रजिस्ट्रार (ई0)/लेखा अधिकारी/ बजट अधिकारी/ ज्वाइंट रजिस्ट्रार (प्रोटोकाल)/ डिप्टी रजिस्ट्रार (न्यायिक–1)/ (न्यायिक–2), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।

12. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी–कम–माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के प्रमुख निजी सचिव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के सूचनार्थ अग्रेषित।

13. रजिस्ट्रार जनरल के सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।

14. प्रशासनिक अधिकारी, पेन्शन /बजट/ सहायक (कार्य)/ शिकायत/ वेतन निर्धारण (राजपत्रित)/ अग्रिम/ अवकाश (राजपत्रित)/ सिविल चेकर/ क्रिमिनल चेकर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।

टिप्पणीः– **(1). रजिस्ट्री पृष्ठांकन क्र. Reg (IT) (SA) /2018/368, दिनांक 01/03/2018 के द्वारा ट्रांसफर व पोस्टिंग संबंधी आदेशों की प्रिटिंग, फोटोकॉपी एवं सायक्लोस्टाइल किया जाना बंद कर दिया गया है। अतः उक्त आदेश के तारतम्य में समस्त संबंधितों को सूचित किया जाता है कि वे आदेश की प्रति डाउनलोड करें व तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही का पालन सुनिश्चित करें।**

10.03.22

(कृष्णमूर्ति मिश्र)
रजिस्ट्रार जनरल